न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00155

चत्तरसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 1 जोधाबास, रावतसर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. उछव कंवर पत्नी श्री सुरजसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. सुल्तान सिह पुत्र सुरजन सिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सरोज कंवर पत्नी रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. प्रदीप सिह पुत्र रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. अंकुर कंवर पुत्री रणवीर सिह जाति राजपूत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. पारूल कंवर पुत्री रणवीर सिह जाति राजपूत नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता सरोज कंवर पत्नी रणवीर सिंह निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. बबीता कंवर पुत्री रणवीर सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षक माता सरोज कंवर पत्नी रणवीर सिंह निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. छोटू कंवर
9. करनी सिंह
10. नाहर सिंह
11. किशोर सिंह
12. धनपत

} पिसरान भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ

13. राजवीर

— रेस्पोडेंट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रावतसर, दिनांक 04.01.2016, प्र. सं. 74/2015

अनवान उछव कंवर बनाम सुल्तान सिंह आदि

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री लोकेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8 ता 13

निर्णय दिनांक 14.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धार 8 (2) सामान्य शर्तें 1955 के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें चक नं. 7 के.डब्ल्यू.डी. की कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 153/397 किला नं. 1 की 0.025 हैक्टेर, किला नं. 10 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 11 की 0.025 है0, किला नं. 20 की 0.025 पश्चिमी पास में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पश्चिमी पास में मन्जूरशुदा रास्ता को निरस्त कर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज बदले में प्रस्तावित रास्ता चक 7 के.डबयू.डी. के पत्थर नं. 153/397 किला नं. 1 की 0.025 है0, किला नं. 10 की 0.025 है0, किला नं. 11 की 0.025 है0 चौड़ाई में पूर्वी पासा में उत्तर से दक्षिण लम्बा व किला नं. 20 में पश्चिमी से पूर्व लम्बा 0.025 हैक्टर चौड़ा व इसी किला नं. 20 के पूर्वी पास में दक्षिण से उत्तर लम्बा 0.022 है0 चौड़ा रास्ता मन्जूर करने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 ने प्रार्थना–पत्र की समस्त मदों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं प्रश्नगत रास्ते को निरस्त करते हुए उन्हीं किलों में नया रास्ता स्वीकृत किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 8 ता 13 की मुश्तर्का खाता के चक नं. 7 के डब्ल्यूडी के प. नं. 152/398 (1) के किला नं. 1 ता 12 में 3.0360 है0 भूमि स्थित है इसके अलावा प0 नं0 151/397 (6) प0 नं0 149/398 प0 नं0 149/399 में भी भूमि स्थित है मु0 नं0 17 व 6 की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट प0 नं0 153/ 397 के किला नं. 1, 10 ,11, 20, 21 में पश्चिमी तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए प0 नं0 153/398 के किला नं. 1 , 10 में पश्चिमी तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता जो अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ता 13 के प0 नं0 152/398 के किला नं. 5, 6 में व आगे स्थित भूमि में आवागमन करते हैं। जो पत्थर लाईन 152 पर सीधा रास्ता है जो अन्य काश्तकारों एवं चक 5 केडब्ल्यूएम व चक 7 केडब्ल्यूडी व 8 केडबल्यू डी हेतु रास्ता रावतसर से आने वालों के लिए है। जो उक्त रास्ता से होकर आवागमन करते है, को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। नया रास्ता टेढा मेढा करने करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। चक के समस्त काश्तकारों की सहमति नहीं ली गई। प0 नं0 152 पर दक्षिण से उत्तर स्वीकृतशुदा रास्ता अर्सादराज से चला आ रहा है। हनुमानगढ मुख्य सड़क से मिलता है। प्रश्गनत रास्ता मिलीभगत करके अपीलाण्ट को सुने बिना टैढा मेढा करवाया गया है। प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राज0 उप0 सामान्य शर्तें 1955 के तहत पेश किया था इस धारा के तहत रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत रास्ता के बाबत किसी प्रकार से कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील पेश की है। धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र, धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 आरआरटी पेज 93, 2017 आरआरटी पेज 342, 2013 आरआरटी पेज 299, 2017 डी[illegible]1 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने यह अपील मिथ्या आधारों पर पेश की है। प्रश्नगत रास्ते को निरस्त करके नया रास्ता स्वीकृत किया गया है। रास्ता एकदम से ही बंद नहीं किया गया है। बल्कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विकल्प में रास्ता स्वीकृत किया गया है। धारा 8 (2) राज0 उप0 सामान्य शर्तें 1955 के तहत रास्ते को स्थानान्तरित करने में कोई मनाही नहीं है। रास्ते को निरस्त करके नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है, उसे नये रास्ते से कोई नुकसान नहीं है। अपीलाण्ट ने यह अपील रेस्पोडेण्ट सं0 1 को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्व मण्डल की अपील सं0 3266/2017 ग्राम पंचायत बनाम विरेन्द्र कुमार, व अपील सं0 4536/2017 राजेन्द्र सिह बनाम विरेन्द्र कुमार, व अपील सं0 3008/2017 दमन सिंह बनाम विरेन्द्र कुमार में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 की फोटो प्रति पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 8 ता 13 ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का कथन किया।

7. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण उसका धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8 (2) सामान्य शर्तें 1955 के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें चक नं. 7 के.डब्ल्यू.डी. की कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 153/397 किला नं. 1 की 0.025 हैक्टेर, किला नं. 10 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 11 की 0.025 है0, किला नं. 20 की 0.025 पश्चिमी पास में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पश्चिमी पास में मन्जूरशुदा रास्ता को निरस्त कर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज, बदले में प्रस्तावित रास्ता चक 7 के.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 153/397 किला नं. 1 की 0.025 है0, किला नं. 10 की 0.025 है0, किला नं. 11 की 0.025 है0 चौड़ाई में पूर्वी पास में उत्तर से दक्षिण लम्बा व किला नं. 20 में पश्चिमी से पूर्व लम्बा 0.025 हैक्टर चौड़ा व इसी किला नं. 20 के पूर्वी पास में दक्षण से उत्तर लम्बा 0.022 है0 चौड़ा रास्ता मन्जूर किया है। इस आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते को उसी किला नं. में स्थानान्तरित किया हैं। रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के बंद करके आवागमन बाधित नहीं किया है। रास्ते का वजूद खत्म नहीं किया है बल्कि एक नया वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत किया है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8 (2) सामान्य शर्तें 1955 के तहत रास्ते को स्थानान्तरित करने में कोई मनाही नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त राजस्व मण्डल की अपील सं0 3266/2017 ग्राम पंचायत बनाम विरेन्द्र कुमार रास्ते को परिवर्तित करने में कोई अनियमितता नहीं है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति को देखते हुए जो निर्णय लिया है वह उचित प्रतीत होता है। अपीलाण्ट किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार है अथवा वह इस निर्णय से प्रभावित एवं पीडित किस प्रकार है यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलधीन निर्णय दिनांक 04.01.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.9.21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:37 IST
Reason: SelfAttested